सं.27012/02/2017-स्था.(भत्ता)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त, 2017

विषयः सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें-बाल शिक्षा भत्ता प्रदान करने से संबंधित निर्णय का कार्यान्वयन।

बाल शिक्षा भत्ता स्कीम के विषय पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में इस विभाग के दिनांक 28.04.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में निम्नलिखित अनुदेशों का प्रयोग किया जा रहा हैः

(क) बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु नियत की गई राशि 2250/-रुपए प्रतिमाह होगी।

(ख) छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु नियत की गई राशि 6750/- रुपए प्रतिमाह होगी।

(ग) यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक ही बाल-शिक्षा भत्ते के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकता है।

(घ) संशोधित वेतन संरचना में प्रत्येक बार मंहगाई भत्ते के 50% होने पर उपर्युक्त सीमाओं में स्वतः ही 25% की वृद्धि हो जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए यह भत्ता दोगुना होगा।

2. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात् वर्ष में एक बार प्रतिपूर्ति की जाएगी। बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए, उस संस्था, जहां सरकारी कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है, के प्रमुख से एक प्रमाण लेना पर्याप्त होगा। इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि की जानी चाहिए कि पिछले अकादमिक वर्ष के दौरान उस बच्चे ने उस विद्यालय में अध्ययन किया है। छात्रावास सब्सिडी के लिए संस्था के प्रमुख से एक ऐसा ही प्रमाण पत्र लेना पर्याप्त होगा जिसमें अतिरिक्त रूप इसका उल्लेख करना अपेक्षित होगा कि इस प्रमाण पत्र में सरकारी कर्मचारी द्वारा आवासीय परिसर में आवास और भोजन के लिए खर्च की गई राशि का उल्लेख किया

गया हो। उल्लिखित व्यय की राशि, अथवा ऊपर यथाउल्लिखित सीमा, जो भी कम हो, का भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा।

3. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

नवनीत मिश्रा

(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. मानक डाक प्रेषण सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी को इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी के बेवसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।